

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 46 / 2014

संस्थित दिनांक—13 / 10 / 14

फाइलिंग नं—230303013072014

रविन्द्रसिंह उर्फ रविन्द्र कुमार पुत्र राजा भैया
आयु 20 साल जाति जाटव धंधा खेती
निवासी ग्राम डांग नरुआ थाना मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

वि रू द्ध

- 1— मुकेश उपाध्याय पुत्र वृन्दावन उपाध्याय
आयु 35 साल धंधा ड्राईवर निवासी ग्राम छीमका
थाना गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड
..... चालक
- 2— सुनील सिंह पुत्र माखनसिंह जाति ठाकुर
निवासी जी0एल0 391 डी0डी0 नगर
भिण्ड रोड ग्वालियर
.....मालिक
- 3— प्रबंधक ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी
जनपद पंचायत के पीछे एम0एस0 रोड
मुरैना म0प्र0
.....बीमा कंपनी

एवं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 47 / 2014

संस्थित दिनांक—13 / 10 / 2014

फाइलिंग नं—230303013062014

देवसिंह पुत्र धर्मजीत जावट
आयु 22 साल जाति जाटव धंधा खेती
निवासी ग्राम डांग नरुआ थाना मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

वि रू द्ध

- 1— मुकेश उपाध्याय पुत्र वृन्दावन उपाध्याय
आयु 35 साल धंधा ड्राईवर निवासी ग्राम छीमका
थाना गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड
..... चालक
- 2— सुनील सिंह पुत्र माखनसिंह जाति ठाकुर

- निवासी जी0एल0 391 डी0डी0 नगर
भिण्ड रोड ग्वालियरमालिक
- 3— प्रबंधक ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी
जनपद पंचायत के पीछे एम0एस0 रोड
मुरैना म0प्र0बीमा कंपनी

आवेदकगण द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक—1 व 2 द्वारा श्री अवध बिहारी पारासर अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक—3 द्वारा श्री आर0 के0 बाजपेयी अधिवक्ता

—::— अधि-निर्णय —::—

(आज दिनांक 15 सितम्बर 2016. को खुले न्यायालय में घोषित)

1. इस अधिनिर्णय द्वारा आवेदकगण रविन्द्र सिंह एवं देव सिंह के मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर यान अधिनियम 1988 पर संचालित प्रकरण क्रमांक 46/14 एवं 47/14 एम0ए0सी0सी0 को समेकित करते हुए एक साथ निराकरण किया जा रहा है। जिसमें आवेदकगण ने दिनांक 20/11/13 को हुयी, दुर्घटना में आयी क्षतियों के फलस्वरूप क्रमशः 1,58,000—1,58,000 /—रुपये और उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवेदन प्रस्तुती दिनांक से अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
2. उक्त दोनों प्रकरणों में यह निर्विवादित है, कि अनावेदक क्रमांक 01 मुकेश के विरुद्ध दिनांक 20/11/13 को दुर्घटना के संबंध में थाना मौ में अपराध क्रमांक 276/13 धारा—279, 337, 338 भा0द0वि0 का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जो जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में विचाराधीन है, यह भी निर्विवादित है, कि आवेदकगण और दुर्घटनाकारी बतायी गयी बस क्रमांक एम0पी0—07 पी0—0560 का अनावेदक क्रमांक—02 पंजीकृत स्वामी है, जिसे उक्त वाहन अंतरिम अभिरक्षा पर प्राप्त हुआ है, यह भी निर्विवादित है, कि दुर्घटना दिनांक को उक्त बस अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कंपनी के यहां बीमित थी, किंतु दुर्घटना दिनांक को उक्त बस का कोई वैध परमिट नहीं था।
3. दोनों आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किये गये मूल आवेदनपत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 20/11/13 को दिन के करीब 10:30 बजे जब वे दोनों ग्राम डांग नरुआ में हरीराम के दरवाजे पर बैठे थे, उसी समय अनावेदक क्रमांक—01 मिनीबस क्रमांक एम0पी0—07 पी0—0560 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिससे

खंभा टूटकर उनके ऊपर गिरा, जिससे रविन्द्र के बाये पैर के घुटने, पीठ, कनपटी, दायें हाथ की कोहनी, दाये पैर के घुटने, बायें कान में चोट आयी है। देवसिंह के भी बायें पैर की टांग व दाहिने पैर के टखने, पीठ में बायीं तरफ कनपटी में व शरीर में अन्य जगह चोटें आयीं और दुर्घटना के संबंध में उन्होंने थाना मौ जाकर रिपोर्ट की रविन्द्र ने रिपोर्ट लिखायी जिसे पर से अपराध क्रमांक 276/13 धारा-279, 337 भा0द0वि0 का पंजीबद्ध हुआ, मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर धारा-338 भा0द0वि0 का इजाफा कर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया, उक्त बस अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की है और अनावेदक क्रमांक-03 के यहां बीमित है। उनकी चोटों का उपचार डॉ० हरीश हासवानी सी0एस0सी0 मौ द्वारा किया गया था और उनके फ्रैक्चर होने से प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराना पड़ा, जिसमें करीब 50,000/-रुपये खर्च हुये डॉक्टर की फीस, पौष्टिक आहार करीब 20,000/-रुपये खर्च हुये, वे 6,000/-रुपये महीने के हिसाब से काम करते थे और तीन महीनों तक उन्हें चोटों के कारण अपने से विरत रहना पड़ा, जिससे 18,000/-रुपये आय की हानि हुई, उपचार के लिए आने-जाने में करीब 20,000/-रुपये खर्च हुये और दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उन्हें शारीरिक पीडा हुयी, परिवार को परेशानी हुयी, तथा उनके पैर में स्थायी खराबी आ गयी है, जिससे उन्हें अजीवन दुखी रहना पड़ेगा, तथा वे पढ-लिख कर शासकीय सेवा से भी वंचित हो गये है, जिसके लिए उन्हें 50,000/-रुपये की राशि सहित कुल मिलाकर 1,58,000-1,58,000/-रुपये की राशि एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से एक रुपये प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

4. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से उक्त दोनों प्रकरणों में एक जैसा जबाव प्रस्तुत करते हुए, स्वीकृत तथ्यों के अलावा आवेदकगण के शेष अभिवचनों का खण्डन कर मूलतः यह उल्लेख किया है, कि आवेदकगण के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी और उन्होंने घटना गलत तौर पर बनाकर पुलिस मौ से मिलकर अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 276/13 धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 पंजीबद्ध करा दिया है, अनावेदक क्रमांक 01 ने कोई दुर्घटना नहीं की है और अनावेदक क्रमांक 02 के वाहन को झूठा दुर्घटना में फंसाया है, आवेदकगण का कोई खर्चा नहीं हुआ है और वे उनसे किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विकल्प में यह अभिवचन भी किया है कि यदि न्यायालय द्वारा यदि आवेदकगण को पात्र पाया जाता है, तो वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के यहां वैध रूप से बीमित है, इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी ही उत्तरदायी है।

5. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से दोनों प्रकरणों

में एक जैसा जबाव प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों के अलावा आवेदकगण के शेष अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए लेख किया है, आवेदकगण ने आवेदनपत्र में अपनी उम्र गलत बतायी है, खेती करना भी गलत बताया है, आवेदकगण की कोई आया नहीं है, आवेदकगण के साथ कोई दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 01 से घटित नहीं हुयी, न ही आवेदकगण को कोई शारीरिक क्षति पहुंची, न अस्थिभंगन हुआ, न स्थाई विकलांगता आयी है, समस्त तथ्य गलत और बनावटी है और आवेदकगण उससे किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं है। बीमा कंपनी का दायित्व बीमा कंपनी की पॉलसी की शर्तों के अंतर्गत होता है, उसके विपरीत उत्तरदायित्व नहीं होता है। वाहन क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 को उनके यहां बीमा अनावेदक क्रमांक 02 सुनील सिंह के नाम से किया गया था। विशेष आपत्तियां लेते हुए यह भी लेख किया है, कि घटना स्वयं आवेदकगण की लापरवाही और उपेक्षा से हुयी। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, और बस में बीमा पॉलिसी की शर्तों के प्रतिकूल क्षमता से अधिक यात्रीयों का परिवहन किया जा रहा था, जो कि मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, आवेदकगण को जो दुर्घटना घटित हुयी वह विद्युत पॉल से हुई है, बस से नहीं हुई है, इसलिए विद्युत विभाग की उपेक्षा व लापरवाही मानी जा सकती है, किंतु विद्युत विभाग को आवेदकगण ने पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके अभाव में प्रकरण संचालन योग्य नहीं है और आवेदकगण व अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की आपस में दुर्भिसंधि है। उपरोक्त कारणों से आवेदकगण का आवेदनपत्र बीमा कंपनी के विरुद्ध निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6. प्रकरण क्रमांक 46 / 14 एवं 47 / 14 दोनों ही प्रकरणों में एक समान वादप्रश्न है, इसलिए पुनरावृत्ति से बचने के लिए और एक समान वादप्रश्न होने से एक ही बार में वादप्रश्न निम्नानुसार उल्लेखित किये जा रहे हैं, जिनका निराकरण इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा, जो इस प्रकार है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1	क्या, दिनांक 20/11/13 को दिन के करीब 10:30 बजे हरीराम के मकान के दरवाजे स्थित ग्राम डांग नरुआ में अनावेदक क्रमांक 01 ने बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0 0560 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से बिजली के खंभे में टक्कर मारी जिससे खंभा टूटकर आवेदक पर गिरा जिससे उसे गंभीर व साधारण उपहतियां	
---	---	--

	कारित हुई ?	
2(ए)	क्या, उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को पहुंची शारीरिक चोटों के उपचार, विशेष आहार, आवागम आदि में आवेदक को कुल करीब 90,000/-रूपये व्यय करना पड़े ?	
2(बी)	यदि हां तो क्या अनावेदकगण संयुक्ततः व प्रथक्ततः उत्तरदायी है ?	
3	क्या, दुर्घटना के समय आवेदक 6,000/-रूपये मासिक आय अर्जित करता था ?	
4	क्या आवेदक को पहुंची चोटों के कारण तीन माह कार्य से विरत रहना पड़ा ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5(ए)	क्या, दुर्घटनाकारी बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ ?	
5(बी)	यदि हां तो क्या अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त होने योग्य है ?	
6	क्या आवेदक दुर्घटना में पहुंची शारीरिक क्षति व पीडा के लिए कुल मिलाकर 1,58,000/-रूपये एवं उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक सधारण ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अनावेदकगण से संयुक्ततः व प्रथक्तः वसूलने का अधिकारी है ?	
7	अन्य सहायता एवं व्यय	

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

7. दोनों क्लैम याचिकाओं के एक ही दुर्घटना से उत्पन्न होने के कारण उन्हें समेकित करते हुए उनका निराकरण दोनों प्रकरणों में आयी साक्ष्य को सम्मिलित रूप से मूल्यांकित करते हुए एक साथ किया जा रहा है।

दोनों प्रकरणों के वादप्रश्न क्रमांक 01 का विश्लेषण एवं निराकरण

8. इस संबंध में प्रकरण क्रमांक 46/14 के आवेदक रविन्द्रसिंह (आ0सा0-01) ने अपने अभिसाक्ष्य में मूल आवेदनपत्र के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण की अभिसाक्ष्य देते हुए दुर्घटना दिनांक 20/11/13 को सुबह करीब 10:30 बजे की बतायी है और यह कहा है, कि वह तथा देवसिंह (प्रकरण क्रमांक 47/14 का आवेदक)

हरीराम के दरवाजे पर ग्राम डांग नरुआ में बैठे थे, तभी बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 जिसे अनावेदक क्रमांक 01 मुकेश उपाध्याय चला रहा था, उसने बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए बिजली के खंभे में टक्कर मार दी जिससे बिजली का खंभा टूटकर उनके ऊपर गिरा और जिससे उसके बायें पैर, पीठ, कनपटी, दायें हाथ की कोहनी दायें पैर के घुटने और बायें कान में चोट आयी थी, देवसिंह के भी बायें पैर की टांग में दाहिने पैर के टखने पीठ, में एवं बायीं कनपटी और शरीर में अन्य जगह भी चोटें आयी थी, उसके द्वारा दुर्घटना की थाना मौ में जाकर रिपोर्ट की गयी थी, प्राथमिक उपचार सी0एच0सी0 मौ में डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा किया गया था। गंभीर चोट होने से प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज हुआ था। आवेदक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना के संबंध में थाना मौ की दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-02 पुलिस द्वारा बनाये गये नजरी नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-03 अनावेदक क्रमांक 01 मुकेश उपाध्याय के संबंध में आवेदक क्रमांक 02 द्वारा पुलिस को दिया गया प्रमाणीकरण जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 को उक्त बस का चालक दुर्घटना दिनांक को बताया गया था, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-04, अनावेदक क्रमांक 01 की पुलिस द्वारा दर्ज अपराध के संबंध में की गयी गिरफ्तारीपत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-05 बस की अनावेदक क्रमांक 01 से कागजात के साथ की गयी जब्तीपत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-07, बस की मैकेनिकल जांच की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-06 उसका व देवसिंह का पुलिस द्वारा कराया गया मेडीकल परीक्षण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-08 एवं प्र0पी0-09 तथा उसकी एक्सरे परीक्षण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-10, जब्त बस को अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त कर निष्पादित सुपुर्दगीनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-11 और सुपुर्दगी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-12 तथा पुलिस मौ द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में दुर्घटना के संबंध में दर्ज अपराध क्रमांक 276/13 के अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-01 पेश की गयी है। इसी आशय की प्रकरण क्रमांक 47/14 के आवेदक देवसिंह (आ0सा0-01) द्वारा संबंधित प्रकरण में मौखिक व उक्त अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है।

9. रविन्द्रसिंह (आ0सा0-01) ने पैरा-05 में यह कहा है, कि उसने दुर्घटनाकारी बस को बेहोश होने के कारण नहीं देख पाया था। ड्राइवर कौन था, यह उसे पता नहीं है, रिपोर्ट किसने लिखायी यह भी उसे पता नहीं है, लेकिन इस बात से इन्कार किया है, कि बस से कोई दुर्घटना नहीं हुयी। पैरा-06 में यह भी कहा है, कि दुर्घटना दिनांक को कोई आंधी नहीं आयी थी। खंभा अपने-आप नहीं गिरा था। इस बात से भी इन्कार किया है, कि उसे कोई चोट या अस्थिभंजन नहीं आया है, आ0सा0-01 की तरह ही सीतराम

आ0सा0-02 ने भी अभिसाक्ष्य देते हुये आवेदक का समर्थन किया है और यह बताया है, कि बिजली का खंभा सीमेंट का था, जिस बस से दुर्घटना हुयी थी, वह सफेद नीले रंग की थी। इस बिन्दु पर अनावेदकगण की ओर से कोई खण्डन साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। प्रकरण क्रमांक 47/14 में रविन्द्र सिंह (प्रकरण क्रमांक 46/14 का आवेदक) आ0सा0-02 के रूप में और सीताराम आ0सा0-03 के रूप में परीक्षित हुये है, जिन्होंने देवसिंह की अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है।

10. इस बिन्दु पर अंतिम तर्कों में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 01 दोनों प्रकरणों में प्रमाणित निर्णित किये जाने का निवेदन किया है। जबकि अनावेदकगण की ओर से मूलतः यह तर्क किया गया है, कि बस से कोई दुर्घटना नहीं हुयी, खंभा गिरने से आवेदकगण चोटिल हुये, इसलिए बस का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं होता है।
11. दोनों प्रकरणों में आवेदकगण की जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आयी है, उससे इस बिन्दु पर स्पष्ट साक्ष्य है, कि दिनांक 20/11/13 को सुबह करीब 10:30 बजे जब दोनों आवेदक रविन्द्रसिंह व देवसिंह हरीराम के दरवाजे पर ग्राम डांग नरुआ पर बैठे हुये थे, जिसके घर के पास बिजली का खंभा लगा है, तब बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और खंभे में टक्कर मारी थी, जिससे खंभा टूटकर आवेदकगण के ऊपर गिरा, जिससे उन्हें चोटें आयीं है, एफ0आई0आर0 प्र0पी0-02 मुताबिक सीताराम और कोमलसिंह मौके के साक्षी है, जिन्होंने दुर्घटना देखी, जिसमें सीताराम ने आवेदकगण का समर्थन किया है, आवेदकगण के संबंध में प्रथम दृष्टया इस आशय का स्पष्ट साक्ष्य है, कि वे हरीराम के दरवाजे पर बैठे हुये थे, प्र0पी0-03 के नजरी नक्शे मुताबिक दुर्घटना गांव के आरसीसी रोड के किनारे की बतायी गयी है, बिजली का खंभा सडक के किनारे दाताराम के मकान के सामने दर्शाया गया है, दाताराम और नाथूराम के मकान के बीच में खरंजे की रोड भी है, जिससे प्रथम दृष्टया घटना लोकमार्ग की दर्शित होती है, बस द्वारा बिजली के खंभे में टक्कर मारी जाने से दुर्घटना घटित हुयी, इसलिए बस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगी। जैसा कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, प्र0पी0-04 एवं 05 के आधार पर अनावेदक क्रमांक 01 का दुर्घटनाकारी बस का चालक होना और अनावेदक क्रमांक 02 का उक्त बस प्र0पी0-11 एवं 12 के आधार पर स्वामी होना पाया जाता है, आवेदकगण का आहत होना प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-11 से स्पष्ट होता है, तथा प्र0पी0-06 से यह भी स्पष्ट होता है, कि दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी से नहीं हुई।

12. आवेदक गण की ओर से किसी चिकित्सक की अभिसाक्ष्य नहीं

करायी गयी है, प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-11 से आवेदक देवसिंह को साधारण उपहतियां एवं रविन्द्रसिंह को साधारण के साथ-साथ बायें पैर के निचले 1/4 हिस्से में टिबिया हड्डी का अस्थिभंजन होना प्रकट होता है, जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है, कि दिनांक 20/11/13 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम डांग नरुआ में अनावेदक क्रमांक 01 ने बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जिससे बिजली के खंभे में टक्कर लगी जिससे बिजली का खंभा टूटकर गिरा और बिजली के खंभे के टूटकर गिरने से आवेदकगण को चोटें आयी, जिससे वादप्रश्न क्रमांक 01 आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित निर्णित किया जाता है।

दोनों प्रकरणों के वादप्रश्न क्रमांक 02(ए), 03 एवं 04 का निराकरण एवं निराकरण

13. दोनों प्रकरणों में उपरोक्त वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से और साक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनका एक साथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है।
14. इस संबंध दोनों प्रकरणों में आवेदकगण द्वारा अपने-अपने मौखिक साक्ष्य में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में 50,000/-रुपये खर्च होना, डॉक्टर की फीस व पौष्टिक आहार आदि में 20,000/-रुपये खर्च होना बताये हैं, तीन माह तक घर पर बिना काम के रहना पडा जिससे 6,000/-रुपये मासिक की दर से 18,000/- का नुकसान भी बताया है और रविन्द्र (आ0सा0-01) ने पैर में खराबी आ जाना, पढाई लिखायी से वंचित होकर शासकीय सेवा के अवसर समाप्त हो जाना बताया है, इसी प्रकार की अभिसाक्ष्य देवसिंह (आ0सा0-01)(प्रकरण क्रमांक 47/14 के आवेदक) ने भी दी है, किंतु इस बिन्दु पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
15. उपरोक्त वादप्रश्नों का प्रमाणभार आवेदकगण पर ही है, आवेदकगण द्वारा कब से कब तक प्राइवेट उपचार कराया, कहाँ कराया गया, ऐसा न तो मौखिक साक्ष्य में बताया है न कोई दस्तावेज पेश किया है आवेदकगण ने 6,000/-रुपये मासिक आय अर्जित करने का भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया है और दुर्घटना के कारण दोनों आवेदक तीन-तीन माह तक अपने कार्य से विरत रहे हों ऐसी भी सुदृढ साक्ष्य नहीं है, चोटों के उपचार में आवागमन में विशेष आहार में 90,000-90,000/-हजार रुपये खर्च किये हों, इस बारे में भी न तो कोई विवरण दिया है, न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य है, न ही किसी अन्य का समर्थन है, ऐसे में दोनों ही प्रकरणों में आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल है, कि उन्होंने चोटों के उपचार में दवाई चिकित्सक शुल्क एवं आवागमन तथा विशेष आहार

आदि में 90,000—90,000 /—रूपये की राशि व्यय की हो अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से भी किसी अवधि में उपचाररत रहने का भी प्रमाण पेश नहीं है, क्योंकि दुर्घटना दिनांक को ही सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र मौ में दोनों आहतों का चिकित्सकीय परीक्षण और रविन्द्र का एक्सरे परीक्षण प्र0पी0—08 लगायत प्र0पी0—11 अनुसार हुआ था। जिसमें रविन्द्र के बायें पैर में टिबिया हड्डी का अस्थिभंजन अवश्य पाया गया, निश्चित रूप से उसके उपचार में कुछ न कुछ राशि आवेदक रविन्द्र द्वारा वहन की गयी होगी, ऐसी उपधारणा की जा सकती है, किंतु देवसिंह द्वारा उपचार में कोई राशि वहन की गयी हो, ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती है, इसलिए आवेदक रविन्द्रसिंह की क्लैम याचिका इस संदर्भ में वादप्रश्न क्रमांक 2(ए) के अस्थिभंजन के उपचार के समेकित बिन्दु पर आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णित किया जाता है, शेष वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 अप्रमाणित निर्णित किये जाते हैं और आवेदक देवसिंह की क्लैम याचिका क्रमांक 47/14 के संदर्भ में वादप्रश्न क्रमांक 02(ए) व 03 एवं 04 अप्रमाणित निर्णित किये जाते हैं।

दोनों प्रकरणों के वादप्रश्न क्रमांक 05(ए) एवं 05(बी), का निराकरण एवं विश्लेषण

16. दोनों प्रकरणों में उपरोक्त वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से और साक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनका एक साथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है।
17. उपरोक्त वादप्रश्नों का प्रमाण भार अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी पर है जिसके संदर्भ में अभिलेख पर अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में सूर्यकांत (अना0सा0—01) व आर0टी0ओ0 कार्यालय के लिपिक जितेन्द्र गुर्जर (अना0सा0—02) को परीक्षित कराया गया है। सूर्यकांत (अना0सा0—01) अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी का विधिक एवं प्रशासनिक अधिकारी है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि बस क्रमांक एम0पी0—07—पी0—0560 सुनील सिंह के नाम से यात्री वाहन के रूप में उनके यहां दिनांक 28/05/13 से 27/05/14 तक बीमित थी, किंतु दुर्घटना दिनांक को बस का वैध एवं प्रभावी रूट परमिट नहीं था, जो कि बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन है और उसने आर0टी0ओ0 कार्यालय ग्वालियर से भी जांच करायी थी, उसमें भी उक्त बस का परमिट दुर्घटना दिनांक को न होना पाया था। इसलिए बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व न होने की साक्ष्य देते हुए, बीमा पॉलिसी प्र0डी0—01, आर0टी0ओ0 कार्यालय ग्वालियर का प्रमाणीकरण प्र0डी0—02 पेश किये हैं, प्र0डी0—02 के संबंध में उसका कहना है, कि कंपनी का इन्वेस्टीगेटर आर0टी0ओ0 कार्यालय गया

था। पैरा-03 में उसका प्र0डी0-01 की बीमा पॉलिसी के संबंध में यह भी कहना रहा है, कि उक्त पॉलिसी अनुसार 3rd पार्टी एवं ओडी के लिए बीमा किया गया था और दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित था।

18. आर0टी0ओ0 कार्यालय के कर्मचारी सहायक ग्रेड-03 जितेन्द्र गुर्जर (अना0सा0-02) ने परमिट शाखा में पदस्थ होना बताते हुए कार्यालय के अभिलेख के आधार पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07-पी0-0560 के संबंध में यह साक्ष्य दी है, कि घटना दिनांक 20/11/13 को परमिट नहीं था और प्र0डी0-02 का प्रमाणपत्र उनके कार्यालय से जारी किया गया है, तथा प्र0डी0-03 कम्प्यूटर रिकार्ड उसके द्वारा पेश करते हुए उसके ए से ए और बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं, यह भी कहा है, कि बिना परमिट के वाहन नहीं चलाया जा सकता, दुर्घटना दिनांक को वैध परमिट होने से इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है, कि उक्त वाहन का परमिट आर0टी0ओ0 ऑफिस में ऑनलाइन पर छिपा दिया गया है।

19. इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में भी इस बिन्दु पर कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं, केवल अंतिम तर्कों में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना रहा है, कि वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित था और आहतगण तृतीय पक्ष है और उनका जोखिम पॉलिसी में कवर होता है, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए उत्तरदायी है और वह चालक व मालिक से बाद में वसूल कर सकती है, अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस आशय की मौखिक तर्क दी गयी है, कि वाहन के बीमित होने से उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का है, चालक एवं मालिक का नहीं है।

20. इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए, मूलतः इसी बात पर बल दिया है, कि वाहन का वैध परमिट न होने से बीमा कंपनी की पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और बीमा कंपनी किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है, इस संबंध में उनकी ओर से न्याय दृष्टांत चंद्रेश कुमार अग्रवाल विरुद्ध योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 2005 (II) डी0एम0पी0 पेज-193 (इलाहवाद), रामसूजन तिवारी विरुद्ध सीता गुप्ता एवं अन्य 2009 ए0सी0जे0 पेज-437 (एम0पी0) तथा सतनाम सिंह विरुद्ध बजाज एलाइंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 भाग-1 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट-34 पेश किया है, जिनका अध्ययन करने पर तीनों ही न्याय दृष्टांतों में दुर्घटनाकारी वाहन पर वैध परमिट और फिटनेस न होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त माना गया है।

21. अनावेदक क्रमांक-03 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहले भुगतान फिर वसूली (Principal of pay and recover) के संबंध में **करनसिंह विरुद्ध ओमप्रकाश आदि विविध अपील क्रमांक 2194/13 आदेश दिनांक 24/04/15** की माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर की फोटोप्रति एवं न्याय दृष्टांत **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बतुल एवं अन्य 2015 (1) ए0सी0सी0डी0 (राजस्थान उच्च न्यायालय)** एवं **विविध अपील क्रमांक 1031/2011 बजाज एलाइज इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मोहन यादव एवं अन्य आदेश दिनांक 21/02/2016 (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय)** की फोटोप्रति, न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध **गंगाधर एवं अन्य 2008 (2) ए0सी0सी0डी0 1035 (एम0पी0)** और **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध पर्वथनैनी एवं अन्य (2009) बॉल्यूम-08 एस0सी0सी0 पेज-785** पेश किये हैं, जिसमें भारतीय सविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत "Pay and recover" के बिन्दु को बड़ी पीठ की ओर रैफर किया गया है, और उक्त न्याय दृष्टांत में पहले बीमा कंपनी को भुगतान के लिए निर्देशित कर, मालिक व चालक से वसूली का आदेश करना बीमा कंपनी के प्रति न्याय की विफलता परिणामित होना बतायी गयी है।
22. प्र0डी0-01 की बीमा पॉलिसी में वाहन के उपयोग की सीमाओं के संबंध में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-66(3) के संबंध में शर्त अंकित की गयी है, जो परमिट संबंधी है, अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी है, उससे स्वीकृत तौर पर दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की एवं अनावेदक क्रमांक-01 के द्वारा चलायी जा रही बस क्रमांक एम0पी0-07 पी0-0560 जो कि यात्री वाहन है, उसका कोई भी परमिट नहीं था और अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने परमिट होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है, केवल अनावेदक क्रमांक 03 की साक्ष्य पर की गयी जिरह में ऑनलाइन पर छिपा देने का आक्षेप किया है, जिसका अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा खण्डन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि दुर्घटना दिनांक को उक्त बस का कोई रूट परमिट नहीं था, जो कि प्र0डी0-01 बीमा पॉलिसी की प्रथम पृष्ठ पर अंकित शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है और ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत के आलोक में तथा न्याय दृष्टांत **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध श्रीमती माधवी कुशवाह 2009 (4) एम0पी0एल0जे0 पेज-377** में प्रतिपादित सिद्धांत को देखते हुए अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी को आवेदकगण को वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पहुंची क्षतियों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-03 की दस्तावेजी साक्ष्य व उस पर आधारित मौखिक साक्ष्य आवेदकगण की साक्ष्य से अधिक प्रबल है। फलतः वादप्रश्न क्रमांक 05(ए) एवं 05(बी)

को अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी के पक्ष में प्रमाणित निर्णित करते हुए अनावेदक क्रमांक-03 को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न होना निष्कर्षित किया जाता है।

दोनों प्रकरणों के वादप्रश्न क्रमांक 02(बी), 06 एवं 07 का निराकरण एवं विश्लेषण

23. उपरोक्त सभी वादप्रश्न सहायता संबंधी होने से उनका दोनों प्रकरणों में एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
24. जहां तक वादप्रश्न क्रमांक 02(बी) का प्रश्न है, वादप्रश्न क्रमांक 05(ए) और 05(बी) के ऊपर किये गये विश्लेषण मुताबिक अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त माना गया है, इसलिए आवेदकगण अनावेदक क्रमांक 01 व 02 जिनकी हैसियत वाहन चालक एवं वाहन स्वामी है, उनसे ही वे संयुक्ततः या प्रथमतः क्षतिपूर्ति राशि पाने के पात्र हो जाते हैं। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02(बी) के निष्कर्ष में यही अंकित किया जाता है, कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 संयुक्ततः या प्रथमतः उत्तरदायी हैं।
25. जहां तक क्षतिपूर्ति राशि का प्रश्न है, दोनों आवेदकगण ने क्रमशः 1,58,000—1,58,000/—रुपये एवं आवेदन प्रस्तुति दिनांक से उक्त राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज चाहा है, अभिलेख पर आवेदक रविन्द्र एवं देवसिंह को दुर्घटना में पहुंची किसी भी चोट के कारण किसी अंग विशेष में या संपूर्ण शरीर में किसी स्थाई निशक्ता की साक्ष्य नहीं है, ऐसी भी साक्ष्य नहीं आयी, जिससे चोटों के कारण किसी अवधि विशेष के लिए निशक्ता रही हो या धन उपार्जन की अर्जन क्षमता में किसी प्रकार की कमी आयी हो, क्योंकि आवेदकगण के नाम से कृषि भूमि होने का कोई प्रमाण पेश नहीं है और जिस समय की दुर्घटना बतायी गयी है, उस समय फसलें खेतों में लगी होती हैं और देखभाल करना ही शेष रहता है, जो परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं इसलिए कृषि आय में कोई कोई कमी होने की संभावना भी परिलक्षित नहीं होता है और आवेदकगण ने स्वयं को विद्यार्थी होना भी बताया है जिससे भी आय अर्जन का बिन्दु निर्बल हो जाता है। उपचार संबंधी कोई बिल, बाउचर, रशीद आदि भी पेश नहीं है। आवेदक देवसिंह की चोटें साधारण प्रकृति की हैं, इसलिए आवेदक देवसिंह को दुर्घटना में आयी, पांच साधारण चोटों को देखते हुए, सहन की गयी शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना के गैर वित्तीय शीर्ष में एक मुश्त 10,000/—रुपये की क्षतिपूर्ति अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से संयुक्ततः व प्रथमतः प्राप्त करने का पात्र होना पाया जाता है, आवेदक रविन्द्रसिंह जिसे कि कुल सात चोटें दुर्घटना में आयीं जिनमें से 6 चोटें साधारण प्रकृति की रही हैं और चोट क्रमांक 07 जो बाये पैर की टिबिया हड्डी में अस्थिभंगन के रूप में कारित हुई, जिसके इलाज में खर्च राशि का विवरण और प्रमाण नहीं है, किंतु फिर भी यह स्वभाविक है, कि उसे अस्थिभंगन होने पर प्लास्टर

आदि लगवाना पडा होगा, तथा कुछ दिन तक वह निश्चित सामान्य काम-काज से वंचित रहा होगा, अस्थिभंजन होने के कारण उसे विशिष्ट पौष्टिक आहार भी लेना पडा होगा, कुछ न कुछ दवा अवश्य करानी पडी होगी, शासकीय अस्पताल में इलाज हुआ होगा फिर भी आने-जाने में अटेण्डर की सहायता लेनी पडी होगी तथा शारीरिक पीडा व मानसिक वेदना भी उसे देवसिंह से अधिक अवधि तक सहन करनी पडी होगी, हलांकि निशक्तता अवश्य नहीं आयी है, किंतु उक्त स्थिति में आवेदक रविन्द्र सिंह अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से संयुक्ततः या प्रथमतः उपरोक्त सभी मदों को दृष्टिगत रखते हुए एक मुश्त 30,000/-रूपये की क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र होना पाया जाता है, तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशियों पर आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 13/10/14 से वसूली होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी दिलाया जाना पर्याप्त होगा। फलतः वादप्रश्न क्रमांक 06 आंशिक रूप से आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित निर्णित किया जाता है।

26. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के समेकित रूप से मूल्यांकन के आधार पर क्षतिपूर्ति याचिका अंतर्गत धारा-166 मोटर यान अधिनियम 1988 बाद विचार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आवेदकगण के पक्ष में और अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

अधिनिर्णय

- (क) अनावेदक क्रमांक 01 व 02 अधिनिर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर आवेदक रविन्द्रसिंह को 30,000/-रूपये व देवसिंह को 10,000/-रूपये प्रतिकर के रूप में संयुक्ततः अथवा प्रथमतः भुगतान करें।
- (ख) अवार्ड राशि के भुगतान करने का प्रथम भार वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 पर होगा जिससे वसूली न होने की दशा में अनावेदक क्रमांक 01 से वसूली की जा सकेगी।
- (ग) अवार्ड राशि पर अनावेदकगण 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भुगतान आवेदन प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक करेंगे।
- (घ) अनावेदक क्रमांक 01 व 02 अपने प्रकरण व्यय के साथ-साथ आवेदकगण का प्रकरण व्यय भी वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर अथवा 1,000-1,000 /-रूपये में से जो भी कम हो वह जोडा जावे।

(ड) अवार्ड राशि जमा होने पर आवेदकगण को उनकी पत्रता अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

27. अधिनिर्णय की आवेदकगण को एवं अनावेदक क्रमांक 01 व 02 को नियमानुसार निशुल्क प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान दी जाएं।

28. तदनुसार अधिनिर्णय तैयार हो, व्यय तालिका तैयार की जावे।

दिनांक: 15 सितम्बर 2016

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया
गया।

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)